राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमाँक : एफ.20 (101)260 आयो/आकाशि/07–08/196 दिनाँक : 12 जनवरी, 2015

विज्ञप्ति

माननीया मुख्यमंत्री महोदय के बजट घोषणा वर्ष 2007–08 के अनुसार जनसहभागिता योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय संचालन हेतु ऐसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है जो महाविद्यालय के संचालन के समस्त आवर्ती व्यय वहन करने के लिए तैयार हो।

राज्य के जिला दौसा के महुआ मे जनसहभागिता योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय संचालन हेतु ऐसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं जो महाविद्यालय के संचालन के समस्त आवर्ती व्यय वहन करने के लिए तैयार हो।

चयनित संस्था को राज्य सरकार न्यूनतम आवश्यकतानुसार भूमि व भवन टोकन लीज पर उपलब्ध करायेगी। इच्छुक संस्थायें विभागीय बेवसाइट **www.dce.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड कर आवेदन कर सकती है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 5 फरवरी 2015.होगी।

(डा0 अनूप श्रीवास्तव)
संयुक्त निदेशक, आयोजना

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट वर्ष 2007–08
की घोषणा के कम में

निजी सहभागिता से

महाविद्यालय खोलने से सम्बन्धित
नीति
एवं
प्रस्तावक संस्थाओं हेतु दिशा–निर्देश
तथा
आवेदन – पत्र

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक नम्बर–4 डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302017
फोन नम्बर – 0141 2706289

मूल्य 100/– रु.

नोटः– इन्टरनेट से फार्म डाउनलोड करने पर फार्म शुल्क रुपये 100/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को देय संलग्न करें ।

कार्यालय आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

1.	आयुक्त	फोन – 2706847
2.	अतिरिक्त आयुक्त	फोन – 2706840
3.	संयुक्त निदेशक (आयोजना)	फोन – 2706289
4.	संयुक्त निदेशक (अनुदान)	फोन – 2706736
5.	संयुक्त निदेशक (अकादमी)	फोन – 2706550
6.	संयुक्त निदेशक (एच0आर0डी0)	फोन – 2705471
7.	संयुक्त निदेशक एवं लोक सूचना अधिकारी	फोन – 2702247
8.	वित्तीय सलाहकार	फोन – 2703897
9.	उपविधि परामर्शी	फोन – 2700629

निजी सहभागिता से महाविद्यालय खोलने से सम्बन्धित नीति एवं प्रस्तावक संस्थाओं हेतु दिशा–निर्देश

राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से राज्य में महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि के साथ उनके वितरण में भी- समानता रहे इस दृष्टि से माननीया मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2007–08 में राज्य के कुछ स्थानों पर निजी सहभागिता से महाविद्यालय के स्थापना की घोषणा की है।

निजी सहभागिता से महाविद्यालय स्थापित करने को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने निम्नलिखित प्रावधान किए हैं–

1. ऐसे स्थानों पर महाविद्यालय संचालित करने हेतु न्यूनतम आवश्यकतानुसार भूमि (5000 वर्ग मीटर) एवं भवन टोकन लीज पर उपलब्ध करवाये जायेंगे।
2. उपरोक्त सुविधाएं राजस्थान में रजिस्टर्ड ट्रस्ट व संस्था को ही उपलब्ध करवाई जाएंगी।
3. एक स्थान हेतु एक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने पर महाविद्यालय खोलने हेतु किसी एक संस्था का चुनाव किया जाएगा। इसके लिए प्राथमिकता निर्धारण हेतु उस संस्था को वरीयता दी जाएगी–
   - (i) जिसे महाविद्यालय अथवा सीनियर सैकेण्डरी स्तर के विद्यालय संचालन का अनुभव हो।
   - (ii) जो उस जिले में पंजीकृत हो जहां महाविद्यालय खोलना प्रस्तावित है।
   - (iii) जिस संस्था के गत 3 वर्षों के खाते अंकेक्षित हों एवं उनमें कोई महत्वपूर्ण त्रुटि इंगित नहीं की गई हो।
   - (iv) जिस संस्था के लेन–देनों एवं गतिविधियों के बारे में कोई सत्यापित जन आक्षेप न हो।
   - (V) जिस संस्था द्वारा सहशिक्षा का महाविद्यालय प्रस्तावित किया जा रहा हो ।
4. संस्था को आवंटित भूमि एवं भवन पर राज्य सरकार का अधिकार होगा तथा सरकार एवं प्रस्तावक संस्था द्वारा निर्मित भवन पर राज्य सरकार एवं प्रस्तावक संस्था का संयुक्त अधिकार होगा । भविष्य में महाविद्यालय भवन का विस्तार राज्य सरकार की पूर्वानुमति से प्रस्तावक संस्था अपने संसाधनों से करा सकेगी।
5. प्रस्तावक महाविद्यालय की भूमि व भवन का उपयोग बिना राज्य सरकार की अनुमति के व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं करेगा । यदि भूमि व भवन का उपयोग किसी प्रकार के धनार्जन हेतु किया जाता है तो इसका पूर्ण उपयोग शिक्षण संस्थान के संचालन, संस्था के संसाधनों को सुदृढ़ करने अथवा रख–रखाव हेतु ही किया जाएगा।
6. प्रस्तावक संस्था बिना पूर्वानुमति के महाविद्यालय को बन्द नहीं कर सकेगी । महाविद्यालय को बन्द करने की स्थिति में समस्त भूमि व भवन पर राज्य सरकार का स्वतः स्वामित्व हो जावेगा तथा संचालन अवधि के समय की समस्त देनदारियों एवं दायित्वों का निर्वहन संस्था द्वारा किया जावेगा । ऐसी स्थिति में महाविद्यालय का स्टाफ राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित नहीं किया जायेगा।

7. महाविद्यालय के संचालन हेतु समस्त आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय प्रस्तावक संस्था को वहन करने होंगे ।
8. महाविद्यालय संचालन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नीतिगत निर्देशों की अनुपालना प्रस्तावक संस्था को अपने महाविद्यालय में करानी होगी ।
9. प्रस्तावक संस्था को उपरोक्त आशयों की अनुपालना करने सम्बन्धित एक सहमति पत्र राज्य सरकार के साथ हस्ताक्षरित करना होगा ।
10. सभी बिन्दुओं पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार का होगा, जो सभी को मान्य होगा।
11. राज्य सरकार प्रारम्भ में स्नातक स्तर तक आवश्यक न्यूनतम ढांचागत सुविधाएं ही उपलब्ध करवायेगी। भविष्य में विस्तार, संकाय एवं सेक्शन वृद्धि तथा स्तर उन्नयन हेतु आवश्यक ढांचागत सुविधाओं का विकास संस्था को स्वयं के संसाधनो से करना होगा।
12. संस्था संचालन हेतु राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान एवं सेवा शर्ते आदि) अधिनियम-1989 एवं नियम 1993 लागू होंगे।
13 आवेदक संस्थायें आवेदन करने से पूर्व उपरोक्त दिशा निर्देशों तथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 को ध्यान में रखें ।
14. यदि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय का संचालन नहीं किया जावेगा तो एक माह के नोटिस पर भूमि एवं भवन खाली करवा कर कब्जा ले लिया जावेगा।
15. यदि भूमि एवं भवन को प्रस्तावक संस्था द्वारा किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई गई तो उसकी भरपाई संस्था को करनी होगी।
16. भवन एवं जन सुरक्षा का संस्था का उत्तरदायित्व होगा।
17. राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा संस्था का निरीक्षण समय-समय पर किया जावेगा एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारी को मांगने पर संस्था द्वारा समस्त दस्तावेज एवं सूचनाएं उपलब्ध करानी होंगी।

<u>आवेदन शुल्क</u>

आवेदन-पत्र के साथ कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

<u>आवेदन किसे करें</u>

आवेदन आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, ब्लाक नम्बर-4, डा0 एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302017 को भिजवाएं ।

<u>आवेदनों/प्रस्तावों की जांच प्रक्रिया</u>

प्राप्त प्रस्तावों/आवेदनों पर आयुक्तालय की चार सदस्यीय समिति विचार कर प्रस्ताव राज्य सरकार के निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी-

1.	आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्था, जयपुर	अध्यक्ष
2.	संयुक्त निदेशक, अकादमिक, कॉलेज शिक्षा, जयपुर	सदस्य
3.	मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, जयपुर	सदस्य
4.	संयुक्त निदेशक, अनुदान, कॉलेज शिक्षा, जयपुर	सदस्य

उक्त के अलावा निजी सहभागिता से महाविद्यालय स्थापित किये जाने की सूची निम्नानुसार है :-

क्र सं	स्थान	जिला
1	महुआ	दौसा

निजी सहभागी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने सम्बन्धी न्यूनतम मानदण्ड एवं शर्तें :-

1. पंजीयन महाविद्यालय का राजस्थान सोसायटी पंजीयन अधिनियम 1958 के अधीन पंजीयन होना आवश्यक है ।

2. स्टाफ — शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित शैक्षणिक मापदण्डों (एकेडेमिक क्वालिफिकेशन्स) के अनुसार की जावेगी। संस्था छात्रों की संख्या के अनुरूप आवश्यकतानुसार स्टाफ की व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र होगी।

3. फर्नीचर — 1– कार्यालय, पुस्तकालय, स्टाफ रूम आदि में आवश्यक उपयुक्त फर्नीचर
2– विद्यार्थियों के लिये मेज कुर्सी
3– प्रयोगशालाओं के लिये आवश्यक संसाधन उपकरण
4 – अनिवार्य कम्प्यूटर प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण एवं फर्नीचर

4. फीस — शुल्क का निर्धारिण राज्य सरकार के नियमानुसार किया जावें।

5. प्रबन्ध समिति — 15 से 21 सदस्यीय प्रबन्ध समिति होनी चाहिये। जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व हो।

6. वेतन भत्ते — 1. प्राचार्य/उपाचार्य/व्याख्याताओं को यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित दरों से एवं अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते दिया जाना अनिवार्य होगा ।
2. कर्मचारियों को देय समस्त भुगतान उनके बैंक खातों के माध्यम से किये जायेंगे ।

7. विद्यार्थी सुविधायें — 1. केन्टीन
2. कामन रूम मय शोचालय
3. आंतरिक कीडा कक्ष मय शोचालय
4. साईकिल/स्कूटर/कार स्टेण्ड मय शोचालय

8. गतिविधियां — विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालय से विविध गतिविधियां जैसे खेलकूद, एन.एस.एस. विज्ञान क्लब, रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम आदि संचालित किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

निजी संस्थाओं को स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु नियम
(राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक सस्था नियम 4)

कोई गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था स्थायी मान्यता के लिए पात्र होगी, यदि वह निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करती है:–

(क) अस्थायी मान्यता मंजूर कर दिये जाने के पश्चात् स्थायी मान्यता चाहने वाली संस्था ने परिशिष्ठ–2 में यथा विर्निदष्ट निबन्धनों और शर्तों को पूरा करते हुए ऐसी अस्थायी मान्यता की तारीख से कम से कम तीन वर्ष तक संतोषप्रद रूप से कार्य किया हो,

(ख) प्रबन्ध ने इन नियमों के उपबन्धों और राज्य सरकार/आयुक्त/शिक्षा निदेशक द्वारा जारी किये गये आदेशों/ निर्देशों या अनुदेशों का तत्परता से पालन किया हो और वह उससे समय–समय पर मांगी गई सभी आवश्यक सूचनाएं प्रस्तुत करता रहा हो,

(ग) छात्रों का परीक्षा–परिणाम संतोषप्रद रहा हो,

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
सत्र ————

निजी सहभागिता से नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाला आवेदन फार्म

आवेदन –पत्र

भाग – 'अ'

1. संस्था का नाम ——————————

2. संस्था कहां पर महाविद्यालय खोलना चाहती है ——————————
   जिला ——————
   स्थान ——————

3. संस्था का पूर्ण पता ——————————
   ——————————
   जिला—————— पिन————
   कार्यालय फोन नम्बर ——————————
   वेबसाइट ——————————
   ई–मेल ——————————
   मोबाइल ——————————
   Fax ——————————

4. संस्था राजस्थान के किस जिले/शहर में पंजीकृत है
   पंजीकरण संख्या————
   पंजीकरण वर्ष————

5. संस्था के पदाधिकारी का नाम जिससे पत्राचार किया जाना है–

नाम	पद	पता
		कार्यालय —————— —————— आवास —————— —————— फोन नं. कार्यालय———— आवास———— मोबाइल नम्बर ————

6. संस्था द्वारा संचालित महाविद्यालयों / सीनियर सैकेण्डरी विद्यालयों की सूची –

शिक्षण संस्था	नाम व पता	स्थापना का वर्ष
महाविद्यालय		
सीनियर सैकेण्डरी स्कूल		
अन्य संस्थाएं		

7. प्रस्तावित महाविद्यालय के विषयों का विवरण

(अ) स्थान———— (तहसील) ———— जिला————

(ब) सह शिक्षा ( ) महिला शिक्षा ( )

(स) संकाय जो प्रारम्भ करना चाहते हैं–

विज्ञान ( ) वाणिज्य ( ) कला ( ) गृहविज्ञान ( )

(द) प्रत्येक संकाय में प्रारम्भ किए जाने वाले प्रस्तावित विषय

विज्ञान ————————

वाणिज्य ————————

कला ————————

गृहविज्ञान ————————

8. अन्य विवरण ————————

स्थान: ————

दिनांक: ————

हस्ताक्षर

नाम

पद

पता

भाग – 'ब'

वित्तीय स्थिति सम्बन्धी विवरण–

1. महाविद्यालय हेतु उपलब्ध वर्तमान कोष–

बैंक जमा (सावधि) रू0 ....

बैंक जमा (बचत/चालू) रू0 ....

2. आगामी तीन वर्षों का प्रस्तावित व्यय–

क0सं0	विवरण	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1	वेतन			
2	फर्नीचर			
3	पुस्तकें			
4	खेलकूद सामग्री			
5	उपकरण			
6	अन्य			

3. विद्यार्थियों से वसूली जाने वाली राशि का मदवार विवरण

क0सं0	मद	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1	शिक्षण शुल्क			
2	विकास शुल्क			
3	पुस्तकालय शुल्क			
4	अन्य			

4. महाविद्यालय छात्रकोष में अनुमानित आय–

क0सं0	मद	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1	अनुमानित आय			

5. महाविद्यालय के अन्य स्रोतों से आय

क0सं0	मद	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1	स्रोत			
2				
3				

(घोषणा पत्र)

भाग – 'स'

1 – शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ सम्बन्धी घोषणाः–

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि महाविद्यालय से सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पदों हेतु निर्धारित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्तों पर नियुक्त किया जायेगा। यदि महाविद्यालय में की गई नियुक्तियाँ उपरोक्तानुसार निर्धारित अर्हताधारी व्यक्तियों की योग्यतानुसार वेतन एवं भत्तों पर नहीं की जाती है तो सरकार महाविद्यालय व उसकी प्रबंध समिति के सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र है।

2– राजनीतिक एवं धार्मिक गतिविधियों के संचालन न करने संबंधी घोषणा पत्रः–

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि महाविद्यालय का संचालन किसी जाति/धर्म राजनैतिक एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के संचालन में नहीं होगा। यदि महाविद्यालय द्वारा किसी जाति/धर्म, राजनैतिक प्रचार–प्रसार एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्तता पाई जाती है तो तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध समिति के विरुद्ध विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

3 सभी जाति व वर्गों के व्यक्तियों को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी घोषणा पत्रः–

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में सभी जाति /धर्म एवं वर्गों के व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किये जायेंगे। यदि महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो सरकार ऐसी दशा में महाविद्यालय प्रबंध के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

4 प्रदूषण सम्बन्धी घोषणाः–

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि महाविद्यालय प्रदूषण रहित क्षेत्रफल में संचालित किया जायेगा एवं महाविद्यालय द्वारा संचालित किसी गतिविधि से किसी प्रकार का प्रदूषण फैलता है तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

5 राजकीय निर्देशों का पालन करना :–

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि महाविद्यालय का संचालन हेतु समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अक्षरशः (*Intoto*) पालना की जावेगी। यदि महाविद्यालय संचालन में राजकीय निर्देशों के पालन में अवहेलना की जाती है तो राज्य सरकार महाविद्यालय प्रबन्धन एवं प्रशासन के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्तंत्र होगी।

6– महाविद्यालय की समस्त आय व्यय सम्बन्धी लेन–देन महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त बैंक खाते से किया जायेगा तथा महाविद्यालय के आय–व्यय का पृथक लेखा जोखा संधारित कर आडिट कराया जायेगा।

7 महाविद्यालय में समस्त नियुक्तियां समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना/जिला रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जायेगी तथा महाविद्यालय के नवनियुक्त समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को प्रारम्भ में दो वर्षो के प्रोबेशन पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान की न्यूनतम स्थिर राशि पर रखा जायेगा तथा प्रोबेशन अवधि में संतोषजनक सेवा पाये जाने पर तीसरे वर्ष के प्रारम्भ से वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य भत्तों पर स्थाई नियुक्ति दी जायेगी। प्रबन्ध समिति की नियुक्ति सम्बन्धी प्रत्येक बैठक में निकटवर्ती राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य को पदेन सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जावेगा।

8 महाविद्यालय में नियुक्त समस्त स्टाफ को प्रसूति लाभ, भविष्य निधि एवं ग्रेच्युटी अधिनियमों के अधीन समस्त परिलाभ देय होंगे, जिनका उल्लेख प्रथम नियुक्ति पत्र में किया जायेगा।

9 महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग अभ्यर्थियों को क्रमशः 16, 12, 21 तथा 3 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

10 प्रस्तावित महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों का दुर्घटना बीमा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा) वित्त भवन, जयपुर के नियमानुसार करवाया जायेगा।

हस्ताक्षर (अध्यक्ष/सचिव)
प्रबंध समिति

–: घोषणा :–

मैं .... पुत्र श्री.......................................
...........................अध्यक्ष/सचिव...एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है तथा मैंने कोई भी तथ्य जानबूझकर नहीं छिपाया है। यदि उपरोक्त तथ्य गलत एवं असत्य पाये जाते है तो इसके लिये संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी एवं राज्य सरकार संस्था के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

अध्यक्ष
समिति

सचिव
समिति

संलग्नकों की सूची (चेक लिस्ट)

1. समिति के रजिस्ट्रेशन एवं विधान की सत्यापित प्रति ।
2. प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची ।(मय नाम पते एवं फोन न0)
3. प्रबन्ध समिति द्वारा निजी महाविद्यालय/ विषय/ संकाय हेतु प्रारम्भ करने हेतु पारित प्रस्ताव की प्रति ।
4. व्याख्याताओं द्वारा धारित अर्हता का प्रपत्र । यदि नियुक्ति नहीं की गई है तो घोषणा पत्र संलग्न करें ।
5. राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चत करने का घोषणा पत्र ।
6. पुरानी संस्था होने पर गत तीन वर्षों के आय व्यय का सी.ए. द्वारा अंकेक्षित प्रतिवेदन। जिसमें संस्था के एसेट्स की स्पष्ट जानकारी दी गयी हों।
7. संस्था के आकादमिक क्षेत्र में अनुभव को स्पष्ट करने हेतु प्रमाण। (यथा संस्था द्वारा संचालित महाविद्यालय/सीनियर सैकण्डरी विद्यालय/अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की विवरणिका आदि)

नोट :– सम्पूर्ण नियमों की विस्तृत जानकारी हेतु "राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1993" देखें ।